केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/23 दिनांक: 12.01.2018

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00023
CICOM/R/2017/01451

अपीलकर्ता : श्री अनिल कुमार अग्रवाल,
पुत्र – स्व0 श्री जगदीश सरन अग्रवाल,
मौ0 महाजन, 7 कबीर गली,
चन्दौसी – 244412.
जनपद – सम्भल ।
मो0 – 9045459011.

निर्णय की तारीख : 12.01.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	25.11.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	12.12.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री दिनेश कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	02.01.2018

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 25.11.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/POSTS/A/2016/298843 से संबंधित पांच बिंदुओं पर सूचनाएं मागी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री दिनेश कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्हें अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई गई है ।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री दिनेश कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को दिनांक 12.12.2017 के पत्र के माध्यम से पूर्ण सूचना उपलब्ध करवा दी गई है जो कि बिल्कुल तथ्यानुरूप है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में दिनांक 12.12.2017 को आयोग को प्रेषित एक पत्र का भी उल्लेख किया है । इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि प्रथम अपील में केवल आर.टी.आई. आवेदन में मांगी गई सूचनाओं पर ही विचार किया जाता है ।

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

12 JAN 2018

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

12/01/18